कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय।

ई0 मेलः– csbegusarai@gmail.com बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग दूरभाष सं0ः– 06243–225512

Department Website:- www.health.bih.nic.in

–ः निविदा आमंत्रण सूचना ः–

बेगूसराय जिलाअन्तर्गत सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–2015 में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379 (9) दिनांक 26.08.2002 पत्रांक 73 (9) दिनांक 28.01.2006 एवं पत्रांक 1757, दिनांक 19.10.2006 के आलोक में दवा, रसायन, मशीन उपकरण, उपस्कर, सामग्री पूर्तियाँ के क्रय हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माताओं एवं अधिकृत आपूर्तिकत्ताओं से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रथम प्रकाशन तिथि से 21वें (इक्कीसवें) दिन के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के दूसरे दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत भी उपस्थित रह सकते है। यदि निविदादाता उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जायेगी। निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से देना होगा। तकनीकि निविदा में सभी कागजात अभिलेख एवं निर्मित दवा, उपकरण, सामग्री, मशीन, उपकरण का विवरण (**Specification**) तथा वित्तीय निविदा में दवा/मशीन उपकरण/सामग्री का नाम, निर्माता कम्पनी का नाम एवं दर रहेगा।

निविदा शर्त्त निम्न प्रकार है ः–

1. निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 50,000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, बेगूसराय के पदनाम से हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
2. दवा, रसायन, उपस्कर, सामग्री एवं मशीन उपकरणों की सूची तथा निविदा की अन्य शर्त्त निविदा प्रकाशन की तिथि से 15वें (पन्द्रहवें) दिन तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में मांग पत्र के साथ मो0–500 (पाँच सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट भेजकर प्राप्त किया जा सकता है, जिनके नाम से निविदा सूची निर्गत नहीं होगी। उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए बेवसाईट **www.prdbihar.org** पर देखा जा सकता है।

निविदा की अन्य शर्त्तें ः–

1. सभी निविदादाताओं को निविदा के साथ आयकर पैन एवं बिक्रीकर निबंधन प्रमाण–पत्र सी0–1 की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को निर्माता कम्पनी का औषधि अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण प्रमाण–पत्र निर्माण सूची के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्माता फर्म के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर निविदा देने वाले आपूर्तिकर्त्ता को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से प्राधिकार पत्र मूल में सिविल सर्जन, बेगूसराय के नाम से निर्गत ही मान्य होगा।
3. निविदादाता द्वारा फर्म के मालिक/पाटर्नर/निदेशक का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या सहित उल्लेखित रहना अनिवार्य होगा।